कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक—3573 / FP/UK/ROAD/8571/2014 :देहरादूनः दिनांकः 7 मई, 2022

सेवा में,

सचिव,
वन अनुभाग—3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः— जनपद उत्तरकाशी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत धरासू चिन्यालीसौड़ जोगथ मोटर मार्ग से बगोड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.319 है0 आरक्षित वन भूमि को गैर वानकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन करने हेतु विधिवत स्वीकृति से संबध में। (ऑनलाइन प्रपोजल नं0— FP/UK/ROAD/8571/2015)

सन्दर्भः—अपर सचिव,वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4 उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0—228/X-4-15/01(96)/2015 दिनांकः—21—04—2015।

महोदय,

उत्तराखण्ड शासन, के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे उत्तराखण्ड सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्र संख्या—2201/12—1 दिनांक 26—04—2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः —

क्र.सं.	शर्तो/प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.638 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख—रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि का वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नमान्तरण किया जाऐगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही है। सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पत्र में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.638 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रू0 377234.0 वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है व विषयगत मार्ग के लिये ली गई 1.319 है0 वन भूमि के सापेक्ष दोगने क्षेत्रफल 2.638 हे0 चयनित स्थल ग्राम पाव तहसील डुण्डा खसरा संख्या—3337/रकवा 2.638 हे0 सिविल सोयम भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम अमलदरामद कर दिया गया है। (संलग्न—01) इस शर्त के अनुपालन में शासनादेश संख्या—1415/X-3-20111(114)/2015, दिनांक—22.10.2021 के कम में उक्त मोटर मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु नामान्तरित/हरस्तान्तरित सिविल सोयम भूमि को संरक्षित घोषित कर दिया गया है।(संलग्नक—02)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस—पास रिक्त पड़े स्थानो पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि(वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस शर्त के अनुपालन में प्रस्तावित मोटर मार्ग के दोनो और रिक्त पडे स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु(वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) रू0—570000.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है।(संलग्न—03)
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायलय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अर्न्तगत आई0ए0सं0, 566 एवं भारत सरकार पत्र सं0—05—3—2007—एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0)की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में रू0 1114555.00 एन0पी0वी की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गई है।(संलग्न—03)

4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया है, कि यदि एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है, तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुयी धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में कर दिया जायेगा,प्रमाण पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के साथ ऑनलाईन कर दिया गया है। (प्रति संलग्न)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधि प्रतिपूर्ति पौधारापोण निधि प्रबन्ध तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस0बी0–25229, कॉरपोशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स,फेज–1 लोधी रोड़ नई दिल्ली–110003 में जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 377234.00 एन0पी0वी0 हेतु रू0 1114555.00 एवं मार्ग के दोनो ओर वृक्षारोपण हेतु रू0 570000.00 कुल रू0 2061789.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।(प्रति संलग्न)
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र सं0–5–1/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधि प्रतिपूर्ति पौधारापोण निधि प्रबन्ध तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लखा संख्या–एस0बी0–25229, कॉरपोशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम) ब्लॉक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स,फेज–1 लोधी रोड़ नई दिल्ली–110003 में जमा कराने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक ड्रॉफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0,क्षतिपूरक प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 377234.00 एन0पी0वी0 हेतु रू0 1114555.00 एव मार्ग के दोनो ओर वृक्षारोपण हेतु रू0 570000.00 कुल रू00 2061789.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। (संलग्न–03)
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त निर्धारित शर्तो को अनुपालन किया जायेगा।
9	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन के पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	उक्त शर्त प्रयोक्त अभिकरण द्वारा अनुमन्य है।

अतः अनुरोध है कि विषयगत प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करवाने का कष्ट करें।

<u>संलग्न–उपरोक्तानुसार ।</u>

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,

संख्या : / FP/UK/ROAD/8571//2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्र संख्या–2201/12–1 दिनांक 26–04–2022 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग,उत्तरकाशी।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,